आदर्श शिक्षा परिषद् समिति, जयपुर

आचार्य/कर्मचारियों के लिये अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध–पत्र दिनांक ..... को श्री/श्रीमती/सुश्री..... आत्मज/धर्मपत्नी/आत्मजा श्री..... (जिसे आगे ..... के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) प्रथम पक्ष एवं आदर्श शिक्षा परिषद समिति, जयपुर द्वितीय पक्ष में परस्पर लिखा गया है। समिति इस अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त करती है एवं कर्मचारी इसके द्वारा ..... के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने को तैयार है :–

1. कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक ..... माह ....., सन ..... से मानी जावेगी। यह प्रथमतः ग्रीष्मावकाश के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व तक की तिथि के लिए नियुक्त किया जावेगा।
2. सेवा में वृद्धि एवं स्थाईकरण कर्मचारी सेवा, अनुशासन एवं आचरण नियम 2011 के नियम के अनुसार की जावेगी।
3. परिवीक्षा काल में वेतन के साथ पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की सुविधा भी प्राप्त होगी।
4. मासिक वेतन जिस माह के लिए वह देय है उसके दूसरे माह के प्रथम सप्ताह में नियमित रूप से दिया जावेगा।
5. शिक्षक अथवा कर्मचारी के कार्य स्थान की दृष्टि से केवल विद्यालय भवन या कक्षा/कार्यालय कक्ष तक तथा समय की दृष्टि से केवल उस अवधी तक जिसमें विद्यालय एवं कार्यालय खुला रहता है, सीमित नहीं रहेगें। कर्मचारी विद्यालय तथा कार्यालय से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्य जो उच्च अधिकारी द्वारा उससे अपेक्षित होगें, करेगा तथा सभी समय तथा स्थानों पर उन कार्यों के पालन में संस्था के प्रधान के निर्देशों का पालन करेगा। ऐसा कोई भी कार्य जो विद्यालय/महाविद्यालय/समिति से सम्बद्ध नहीं है, उससे नही लिया जावेगा तथा विद्यालय एवं समिति की निधियों के लिए अभिदानों अथवा सहायता राशि संग्रह करना उसके कर्तव्य का अंश नही माना जायेगा, परन्तु ऐसे कार्य में उसकी स्वैच्छिक भागीदारी सराहनीय मानी जायेगी।
6. मुख्यालय का त्याग अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा। अनुमति लिखित में प्राप्त की जावेगी।
7 कर्मचारी को विद्या भारती संस्थान, जयपुर (आदर्श शिक्षा परिषद समिति, जयपुर) के सेवा नियम 2011 के नियमों एवं संशोधित सेवा नियमों के अनुसार अवकाश देय होंगे।
8. विद्या भारती संस्थान, जयपुर के सेवानियमों के प्रावधान के अधीन रहते हुए समिति किसी भी समय विद्या भारती संस्थान, जयपुर के नियम के अधीन नियमित रूप से आयोजित बैठक (मीटिंग) में कर्मचारी को बिना कोई नोटिस दिये निम्नलिखित अपराधों में से किसी एक अथवा अधिक के लिए पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकती हैं।

   (क) संस्था प्रधान अथवा व्यवस्थापक के आदेशों की अवज्ञा या अवहेलना।

   (ख) कर्तव्य के प्रति जान बूझ कर असावधानी।

   (ग) गम्भीर दुर्व्यवहार अथवा ऐसा कोई कार्य करने पर जो भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

   कर्मचारी ऐसे प्रस्ताव के पारित होने के 30 दिन के अन्दर–अन्दर समिति द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के लिए आवेदन कर सकता है तथा समिति आवेदन प्राप्ति पर, उस पर पुनर्विचार करेगी। उक्त दुसरी बैठक में कर्मचारी अपने प्रकरण का अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकेगा तथा यदि वह चाहता है तो अपने मामले का कथन करने के लिए समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुमत किया जा सकेगा। यदि कर्मचारी द्वारा प्रस्ताव के पुनर्विचार के लिए आवेदन नही किया जाता है अथवा समिति द्वारा दुसरी बैठक में प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाती है तो कर्मचारी को इसके आगे पदच्युति का कोई नोटिस

{ पृष्ठ 2 पर जारी }

नही दिया जावेगा। बल्कि उसे पदच्युति के आधारों के लिखित विवरण सहित उस प्रस्ताव की एक प्रति दी जायेगी, जिसके द्वारा उसे पदच्युत किया गया है। उसे उस दिन तक का, उस दिन को सम्मिलित करते हुए जिस दिन उसे निलम्बित किया गया था। वेतन दिया जायेगा। परन्तु वह विद्यालय का धन, अथवा सम्पति अथवा उसके मूल्य को लौटाने अथवा वापस करने के लिए अपेक्षित किया जा सकेगा, जिसका उसने दुर्विनियोग किया है अथवा जिनको उसने न्याय विरूद्ध अपने कब्जे में कर लिया हैं।

(ब) उपरोक्त किसी आधार पर आचार्य/कर्मचारी को पदच्युत करने के स्थान पर एक प्रस्ताव पारित करके एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारी के वेतन से कटौती करके हल्का दण्ड दिया जा सकेगा अथवा स्थायी या अस्थायी रूप से उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि या वृद्धियों को रोका जा सकेगा तथा या कर्मचारी निलम्बन काल (यदि कोई हो) का वेतन न दिया जाय। कर्मचारी तब भी समिति के प्रस्ताव को पुनर्विचार किये जाने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। जैसा कि उप खण्ड (अ) में प्रवाहित किया गया है। यदि कर्मचारी ऐसा आवेदन करता है तो समिति को दुसरी बैठक में उसकी अपील को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की अथवा उपरोक्त हल्के दण्ड देने की बजाय प्रस्ताव पारित करके कर्मचारी को पदच्युत करने की स्वतन्त्रता होगी तथा इस दशा में कर्मचारी को पदच्युत करने का प्रस्ताव अन्तिम होगा तथा पदच्यृति के लिए कोई दूसरा नोटिस देना आवश्यक नही होगा।

(स) कर्मचारी को पदच्युत या दण्डित करने के लिए कोई सभा (बैठक) करने से पूर्व समिति या व्यवस्थापक को कर्मचारी को समय और स्थान सहित उसके विरूद्ध दोषारोपणो का एक विवरण देना होगा और उसका लिखित प्रत्युत्तर देने के लिए उसे कम से कम 10 दिन का समय देना चाहिए। समिति जिसने दोषारोपणों पर विचार किया था, कि बैठक विचाराधीन होने से समिति या व्यवस्थापक कर्मचारी को कार्य से निलम्बित कर सकेगा। तथापि यदि कर्मचारी चाहता है तो अपने मामले का कथन करने के लिए समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुमत किया जा सकेगा।

(द) निलम्बित कर्मचारी को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह–भत्ता देय होगा। आरोपों का प्रत्युत्तर प्राप्त करने से एक मास की अवधि में समिति की बैठक बुलाई जावेगी , जो आरोप पत्र व उसके प्रत्युत्तर पर विचार कर निर्णय करगी। निर्णय के फलस्वरूप कर्मचारी के आरोप मुक्त होने की स्थिति में उसे पद पर पुनः स्थापित किया जा सकेगा तथा निलम्बन काल का पूरा वेतन भी उसे देय होगा परन्तु इसमें से निर्वाह–भत्ता राशि काटी जाकर शेष का भुगतान किया जावेगा।

9. अस्थाई कर्मचारी एक माह का पूर्व लिखित नोटिस तथा स्थाई कर्मचारी तीन माह का पूर्व लिखित नोटिस देकर अथवा इतने ही माह के वेतन भत्ते के बराबर राशि नकद जमा कराकर इस अनुबंध को समाप्त करा सकेंगे। इसी प्रकार संस्था प्रबन्ध भी उपरोक्तानुसार लिखित नोटिस देकर अथवा उपरोक्तानुसार एक माह या तीन माह के वेतन के बराबर राशि नकद अथवा चैक द्वारा कर्मचारी को भुगतान कर अनुबन्द को समाप्त कर सकेगा।

10. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के 3 माह के अन्दर यदि कर्मचारी को करार की समाप्ति या परिवीक्षा अवधि बढाये जाने का नोटिस नहीं मिलता है तो वह अपनी नियुक्ति पर स्थाई किया माना जायेगा।

11. समिति किसी भी हालत में अनुबन्ध को भंग नही करेगी जब तक कि तत, प्रयोजनार्थ विशिष्टतया बुलाई गई समिति की बैठक में उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पास न कर दिया गया हो और जब तक कि ऐसी कार्यवाही के लिए प्रस्ताव में समुचित कारण अभिलिखित न किये गये हों। ऐसे कारण–(क) कार्य कुशलता का अभाव,(ख)आर्थिक कठिनाइयों के कारणों पर तय की गई आम छटनी, (ग) किसी विषय का हटाया जाना, (घ) किसी अनुभाग अथवा कक्षा का कम किया जाना, (ङ) कार्य की अकुशलता अथवा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दी गई तीन या अधिक बार की सप्रमाण चेतावनी या दण्ड।

{ पृष्ठ 3 पर जारी }

12. कर्मचारी गृह शिक्षण, अंशकालिक कार्य, कर्मचारी कल्याण कोष, लोक परीक्षाओं आदि, विषयक समय–समय पर समिति द्वारा बनाये गये, नियमों का पालन करेगा।
13. समिति के प्रबन्धान्तर्गत अथवा सहयोग से चल रहे तथा भविष्य में प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों में कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
14. यदि कर्मचारी खण्ड 9 का उल्लंघन करता है तो उसको देय वेतन राशि, सुरक्षित धनराशि, पी.एफ. राशि में से नोटिस वेतन राशि के बराबर राशि समायोजित करने का समिति को अधिकार होगा।
15. यदि कर्मचारी खण्ड 12 अथवा 13 का उल्लंघन करता है तो समिति यथास्थिति उसकी सेवाऐं समाप्त कर सकेगी या उसको बरखास्त कर सकेगी।
16. समिति की सेवा मे रहते हुए अन्यत्र नियोजन के लिए अनुमति प्राप्त कर ही आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर अन्यत्र नियोजन के लिए कार्य मुक्त न करने का समिति को अधिकार रहेगा।
17. कर्मचारी यदि स्पर्धापरीक्षा, अथवा अपनी योग्यता बढाने हेतु अध्ययन करना चाहता है तो उसे समिति की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
18. यदि समिति इस करार के अधीन कोई दण्ड आरोपित करने का विनिश्चय करे तो समिति का विनिश्चय तुरन्त क्रियाशील होगा तथा कर्मचारी उसका पालन करेगा।
19. यदि कर्मचारी उस समय जब कि करारनामें के किसी भी उपबंधक अनुसार उसको कोई नोटिस दिया जाता हैं, अपने नियुक्ति स्थान पर नही हो तो ऐसा नोटिस उनको रजिस्ट्रीशुदा डाक से भेजा जावेगा। इस प्रकार भेजा गया नोटिस कर्मचारी को मिले या न मिले उस दिवस से प्रभावशील होगा , जिसको कि वह साधारण डाक से पहुँचता। यदि कर्मचारी पता बताये बिना नियुक्ति स्थान से चला जाता है तो समिति का प्रस्ताव या निर्णय उस तिथि के चौदह दिवस पश्चात से लागू माना जावेगा, जिस तिथि को यह नोटिस उसे प्राप्त होता यदि वह अपने नियुक्ति स्थान पर रहता चाहे उसे यह नोटिस मिले या न मिले।

इसके साक्ष्य में दोनो पक्षों ने आज उपर्युक्त दिनांक और वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अधिकार के अधीन श्री.....द्वारा समिति की ओर से निम्नांकित की मौजूदगी में हस्ताक्षर किये गये :–

..... अध्यक्ष / व्यवस्थापक.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर मय पद एवं विषय

प्रधानाचार्य .....

गवाह

(1) .....

पता .....

.....

(2) .....

पता .....

.....

आदर्श शिक्षा परिषद् समिति, जयपुर

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ..... आत्मज/धर्मपत्नी/आत्मजा श्री..... शैक्षणिक योग्यता ..... एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं आदर्श शिक्षा परिषद समिति, जयपुर के नियमों/उप नियमों को विद्यालय अनुशासन में रहते हुये पालन करता रहूँगा तथा विद्यालय की गरिमा व गौरव को उत्तरोतर बढ़ाने में अपनी सम्पूर्ण क्षमताओं का निष्ठापूर्वक उपयोग करूँगा। मेरे द्वारा जाने या अनजाने में ऐसा कोई भी कार्य नही किया जावेगा तथा न मेरे द्वारा ऐसी किसी गतिविधि को प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप में सहयोग मिलेगा जो विद्यालय तथा संस्था के अनुशासन, परम्पराओं, गरिमा व आदर्शो के विपरीत होगी।

मैं विद्यालय सेवाओं का त्याग नियुक्ति अवधि के मध्य नहीं करूँगा। मैं अपने कार्य व व्यवहार से विद्यालय प्रबन्ध को संतुष्ट रखूँगा।

इसके विपरित कृति की अवस्था में मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

1. आचार्यों के लिये ध्यान देने योग्य बातों के पत्रक के अनुसार सभी बिन्दुओं का पालन करूँगा।
2. मैंने सेवा नियम एवं अन्य सभी शर्तें पढ़कर समझ ली है, मैं इनका पालन करूँगा।

प्रधानाचार्य/प्रमुख

हस्ताक्षर आचार्य/कर्मचारी